किच्छा शुगर कम्पनी, लिमिटेड, किच्छा जनपद– ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

Phone No. 8392928226 E-mail kichha_sugar@yahoo.com/purchasekichha@gmail.com

दर आमंत्रण सूचना (नोटिस बोर्ड)

मिल परिसर में स्थापित ऑचल बूथ के संचालन हेतु इच्छुक संचालको से दिनांक 27.05.2026 अपरान्ह 04:00 बजे तक दरें आमंत्रित की जाती हैं, जो दिनांक 28.05.2026 दोपहर 12:00 बजे क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। कृपया अपनी अन्तिम दरें ही दे, आवश्यकता होने पर H1 (उच्चतम दरदाता) से निगोसियेशन किया जा सकता है। का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र.स.	कार्य का विवरण	इकाई	मासिक किराया
1.	मिल परिसर में प्रशासनिक भवन के समीप स्थित ऑचल बूथ का संचालन	मासिक किराया प्रतिमह	

कैन्टीन संचालन हेतु नियम व शर्ते संलग्न है।

नोटः सूचना मिल की वेबसाइड www.kichhasugar.com पर भी उपलब्ध है।

प्र.श्र.क.अधि.प्रभारी   मुख्य लेखाकार   अधिशासी निदेशक

पत्रांकः 214 /क्रय/किच्छा/2026–27   दिनांकः21/05/2026

तिलिपिः

1. फैक्ट्री मेन गेट/सामान्य कार्यालय/नगर पालिका/तहसील नोटिस बोर्ड।
2. प्रभारी सॉफ्टवेयर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधिशासी निदेशक

किच्छा शुगर कम्पनी लि0, किच्छा ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)।

मिल परिसर में प्रशासनिक भवन के समीप स्थित ऑचल बूथ के संचालन हेत नियम व शर्ते।

1. यद्यपि ठेका एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जायेगा परन्तु इसे किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा को सुरक्षित रहेगा। बूथ की व्यवस्था सुव्यवस्थित रहने की दशा मे आपसी सहमति पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।
2. बूथ संचालक को बूथ में मात्र ऑचल के उत्पाद ही विक्रय करने होगें। अन्य उत्पादो का विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
3. बूथ संचालन हेतु विद्युत का उपयोग केवल बल्ब, ट्यूब रॉड, पंखों एवं फिज के लिए ही किया जायेगा हीटर इत्यादि जलाना वर्जित है।
4. बूथ प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुला रहेगा।
5. बूथ में होने वाला किसी भी प्रकार का मरम्मती कार्य ठेकेदार को स्वयं अपने खर्च पर करवाना होगा।
6. बूथ मे ठेकेदार अथवा अधिकृत नौकर ही रह सकते है, जिसकी सूचना ठेकेदार को कम्पनी के सुरक्षा अधिकारी एवं श्रम कल्याण अधिकारी को लिखित रूप मे देनी होगी। कोई भी बाहरी व्यक्ति बूथ मे नही रहने दिया जायेगा। यदि अनाधिकृत व्यक्ति बूथ मे ठहरा पाया जाता है तो उसके लिए ठेकेदार से उचित जुर्माना वसूला जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. बूथ मे कार्यरत किसी भी कर्मकार के दुर्घटना इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। कारखाना अधिनियिम 1948 एवं कान्ट्रैक्ट अधिनियम 1970, दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनिमय एवं क्षतिपूर्ति अधिनिमय का अनुपालन एवं उनके अन्तर्गत देय हित लाभों के तहत ठेकेदार को स्वयं व्यवस्था करनी होगी। कार्यरत कर्मकारो के न्यूनतम वेतन भुगतान, सुरक्षा इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी बूथ ठेकेदार की होगी।
8. ठेकेदार को ठेका मिलने की दशा में बूथ का अध्यासन प्राप्त करने से पूर्व धरोहर राशि रु.5000.00 मिल कोषागार में जमा करवाकर रसीद सुरक्षा विभाग में उपलब्ध करवानी होगी जिसके बाद ही बूथ का अध्यासन ठेकेदार को दिया जायेगा।
9. बूथ की व्यवस्था किसी भी नियम व शर्तो के उल्लघंन पाये जाने की स्थिति मे ठेका किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार अधिशासी निदेशक को सुरक्षित होगा।

प्र.मु.ले.   अधिशासी निदेशक

दरदाता का नमा ....

पैन नंबर ....

पता ....

दूरभाष संख्या ....